

FROM No.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO)  
बायतु

अज अदालत..... मुकाम.....

बनाम..... गिरधारी वर्मा

किस्म मुकदमा..... नं. 110/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/07/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>गिरधारी वर्मा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वेद/अपील धारा <u>88, 188</u></p> <p>राजस्थान काष्ठकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>15/07/2020</u> को पेश हो।</p> <p><u>गिरधारी वर्मा</u></p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>	
15/07/2020	<p>पारी वडील उपदिप्त/उतिवरी</p> <p>सेटिंग - 1 व 2 की कोर्ट के वडील श्री <u>प्येनाराम जायड</u> द्वारा वडालातनाम व</p> <p>उतिवरी सेटिंग - 1 की कोर्ट के वडील श्री <u>प्येनाराम जायड</u> द्वारा ईवालिफ</p> <p>जवाबदावा पेश विद्या गमा। उतिवरी</p> <p>सेटिंग - 2 की कोर्ट के जबाब पेश नही</p> <p>डाला चाहे है जिनहु जबाब बन</p> <p>विद्या जाता है। पारी वडील द्वारा पारी</p> <p>साहय के रूप के <u>पु-1, पु-2</u> तथा</p> <p>उतिवरी सेटिंग - 1 व 2 वापस-पु-1 व पु-2</p>	<p><u>गिरधारी वर्मा</u></p> <p><u>गिरधारी वर्मा</u></p> <p><u>गिरधारी वर्मा</u></p>

गिरधारी वर्मा  
15.7.2020  
सहायक कलक्टर  
(SDO) बायतु



पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया  
गया। वही व परिवार संख्या-4 के अधिकतम  
की कक्षा सुनी गई पत्रावली व पत्रावली संलग्न  
वाजव ने 85 का कुवलोडन किया गया वाय प्रो-  
लोन वही का वाय टर्माट किया जाइ निर्णय  
सलग ले लिया गया व शामिल पत्रावली किया  
गया। डिग्री पत्रा जारी होइर पत्रावली संलग्न  
सुमार हो, दर्ज नम्बर ले 85 हो दाखिल दस्ता हो।

15.7.2020

15.7.2020  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) बायतु

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S. )

राजस्व वाद संख्या- 110/2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अचलाराम पुत्र गिरधारीराम		1. गिरधारीराम गोदपुत्र टीकमाराम
2. विशनाराम पुत्र गिरधारीराम		2. मेहराजाराम पुत्र भगाराम
3. रेखाराम पुत्र गिरधारीराम		जातियान्-जाट,
जातियान्-जाट,		निवासीयान्-भादासर, अकदड़ा
निवासीयान्-भादासर, अकदड़ा		तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर		3. तहसीलदार, बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :- 1. श्री रिणछाराम सियाग वकील वादीगण

2. श्री खेताराम जाखड वकील प्रतिवादी संख्या 1

--: निर्णय :-

दिनांक 15/07/2020

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरुद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा भादासर पटवार मण्डल अकदड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 565, 566, 846, 866 रकबा क्रमशः 0.1699, 6.9331, 2.8962, 21.1958 हैक्टेयर व मौजा सुजानिया नाडियां पटवार मण्डल अकदड़ा के खेत खसरा नम्बर 461 रकबा 12.6285 हैक्टेयर में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही पूर्वज के वंशज हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उत्तराधिकारी है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात् पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण, प्रतिवादीगण संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत

विवेक व्यास  
राजस्थान न्यायालय  
बायतु


पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगाना जारी हुआ था तथा वादीगण बगताराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।


अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा भादासर पटवार मण्डल अकदड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 565, 566, 846, 866 रकबा क्रमशः 0.1699, 6.9331, 2.8962, 21.1958 हैक्टेयर व मौजा सुजानिया नाडिया पटवार मण्डल अकदड़ा के खेत खसरा नम्बर 461 रकबा 12.6285 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से के साथ वादीगण प्रत्येक को 1/8-1/8 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।



निर्णय आज दिनांक 15/07/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर (380)  
(विवेक व्यास)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

  
सहायक कलेक्टर (380)  
(विवेक व्यास)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अचलाराम पुत्र गिरधारीराम		1. गिरधारीराम गोदपुत्र टीकमाराम
2. विशनाराम पुत्र गिरधारीराम		2. मेहराजराम पुत्र भगाराम
3. रेखाराम पुत्र गिरधारीराम		जातियान्-जाट,
जातियान्-जाट,		निवासीयान्-भादासर, अकदड़ा
निवासीयान्-भादासर, अकदड़ा		तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर		3. तहसीलदार, बायतु

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या-110/2020.

निर्णय दिनांक :- 15/07/2020

वादी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग व प्रतिवादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ..... को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा भादासर पटवार मण्डल अकदड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 565, 566, 846, 866 रकबा क्रमशः 0.1699, 6.9331, 2.8962, 21.1958 हैक्टेयर व मौजा सुजानिया नाडिया पटवार मण्डल अकदड़ा के खेत खसरा नम्बर 461 रकबा 12.6285 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से के साथ वादीगण प्रत्येक को 1/8-1/8 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

  
(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़